

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18-12-18

वकील शर्मा/डफो/शर्मा की ओर से दिनांक  
31-12-18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन  
किया कि शर्मा प्रार्थना पत्र को चलावा नहीं  
चाहता है। मौजूदा छरत में प्रार्थना - पत्र  
दाखिल फरमावे हेतु निवेदन किया/शर्मा की  
इस प्रार्थना पर प्रार्थना-पत्र शर्मा स्वीकार किया  
जाता है तथा प्रार्थना-पत्र शर्मा अन्तर्गत धारा  
251क मौजूदा छरत में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फाइल में डुमर होकर दाखिल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर